



तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गोपी बनाम राजस्थान सरकार मु0न0 119/2011</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए</p>
04.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ रिजर्व रखी जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर</p>	
04.08.2023	<p>पत्रावली वास्ते आदेश आज दिनांक को पेश हुई। वादी द्वारा उक्त राजस्व वाद वास्ते खातेदारी एवं अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया था जिस बाबत हाजा न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात निर्मित कर उभयपक्ष अभिभाषकों की अंतिम बहस सुनी जाकर वादग्रस्त आराजियाता चौसाला खसरा नम्बर 636 रकबा 02-11-00 वर्किंग खसरा नम्बर रकबा 02-01-10 नये आधारभूत खसरा नम्बर 0.41 है0 बाबत वादीगण का वाद डिक्री योग्य पाये जाने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को वादी के पक्ष मे डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पांबद किया जाता है कि वे वादी की उक्त आराजीयात बाबत् किसी भी प्रकार से दखलअंदाजी मदाखलत उत्पन्न नहीं करे। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष मे डिक्री की जाकर आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर</p>	